

7  
25  
24

पत्रावली देखा बहुलाय करीकेन लाजिए। वकील  
उभयपक्ष ने निवेदन किया कि बूल आवे  
के निस्तारण कर स्थान को अथावत  
रखा जावे। अतः वकील उभयपक्ष के

निवेदन पर मूल आवे के निस्तारण तक  
स्थान आदेश को अथावत रखने के  
आदेश जारी किये जाते हैं। पत्रावली  
फैलल शुमार लोक नम्बर से कम लोक  
मूल आवे के साथ संलग्न हैं।

